अभिमन्यु प्रताप सिंह
बनाम
नमिता सेखों व अन्य
(सिविल अपील सं. 2022 का 4648)
06 जुलाई 2022
[इंदिरा बनर्जी व जे.के. माहेश्वरी, जे.जे.]

मोटर यान अधिनियम, 1988- 100% अशक्तता पहुंचाने वाली चोटे- उचित एवं न्यायसंगत मुआवजे का निर्धारण- आर्थिक क्षतिपूर्ति और गैर-आर्थिक क्षतिपूर्ति- अपीलार्थी - दावेदार को जब वह साढ़े पाँच वर्ष का था तब उसे एक सड़क दुर्घटना मे 100 % स्थाई निःशक्तता का सामना करना पड़ा- मोटर यान दावा अधिकरण ने 9,00,000/- रुपए का मुआवजा स्वीकृत किया- उच्च न्यायालय ने मुआवजे की राशि को बढ़ा कर 23,20,000/- रुपए किया- अपील पर अभिनिर्धारित किया गया: काजल बनाम जगदीश चंद्र एवं अन्य [2020] 3एस.सी.आर. 622 *के फैसले से मार्गदर्शन लेते हुए हस्तगत मामले मे मुआवजे के निर्धारण के लिए, 18 के गुणक को लागू लिया गया- तथ्यों पर, आर्थिक मदों मे मुआवजे के भुगतान के लिए निर्धारित राशि (यानि भविष्य की कमाई की हानि, भविष्य के चिकित्सा व्यय सहित चिकित्सा व्यय, सहायक शुल्क और भविष्य के परिवहन सहित परिवहन) 46,62,000/- रुपए आता है और गैर-आर्थिक मदों मे (मानसिक और शारीरिक पीड़ा, वर्तमान और भविष्य के कष्ट, वैवाहिक आनंद की हानि सहित जीवन की सुविधाओं की हानि, जीवन की प्रत्याशा की हानि, असुविधा, कठिनाई, परेशानी, निराशा, हताशा, जीवन मे मानसिक तनाव आदि) का 5,00,000/- रुपए आता है- कुल मुआवजा 51,62,000/- रुपए आता है- बढ़ी हुई राशि 28,42,000/- रुपए पर दावा याचिका दायर करने की दिनांक से भुगतान तक 6.25% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा|*

मोटर यान अधिनियम, 1988- उचित मुआवजे का निर्धारण- गुणक पद्धति- अभिनिर्धारित- आयु, मुद्रास्फीति दर, जीवन की अनिश्चितता और अन्य वास्तविक जरूरतों को देखते हुए गुणक पद्धति को सबसे यथार्थवादी एवं उचित माना गया है- इस प्रकार, उचित मुआवजे के निर्धारण के लिए मृतक या आहत के परिवार के साथ न्याय सुनिश्चित करने के लिए, जैसी भी स्थिति हो, उक्त पद्धति को अपनाते हुए मुआवजा निर्धारित किया जा सकता है- न केवल भविष्य मे होने वाली कमाई के नुकसान के निर्धारण के लिए बल्कि सहायक शुल्क के लिए भी गुणक पद्धति को अपनाना चाहिए- अतः, हस्तगत मामले मे, अधिकरण ने भविष्य के नुकसान के मुआवजे के साथ- साथ केवल 10 वर्षों के लिए कमाई और केवल 20 वर्षों के लिए सहायक शुल्क देना उचित नही ठहराया था- उक्त राशि का निर्धारण गुणक पद्धति को लागू करके किया जाना चाहिए|

मोटर यान दावा- मुआवजा- का निर्धारण- ऐसा मुआवजा देने का आधार, चोटों के बराबर समान कार्यप्रणाली लागू करना- भारतीय कानून की तुलना मे अंग्रेजी निर्णय- चर्चा की गई|

मोटर यान अधिनियम, 1988- गैर-आर्थिक क्षतिपूर्ति- "दर्द, सदमा और पीड़ा", दुर्घटना दिनांक से विचार किए जाने वाले विभिन्न कारक - चर्चा की गई|

न्यायालय, अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए

अभिनिर्धारित: 1.1 दावेदार ने सड़क दुर्घटना मे 100% स्थाई विकलांगता का सामना

किया है और दायित्व संयुक्तः और पृथकतः है | क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजे का भुगतान करना दावेदार को उसकी मूल स्थिति मे पुनर्जीवित नही करेगा | गलत कार्य के लिए पैसे के रूप मे मुआवजा हालांकि न्यायालय द्वारा तय नही किया जा सकता है, लेकिन इसे मान्यता प्राप्त सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है | [पैरा 9,10]

1.2 उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश मे कहा है कि दावेदार ने अब वकील के रूप मे अभ्यास करना शुरू कर दिया है, इसलिए, भविष्य मे कमाई की हानि की गणना केवल 10 वर्षों के लिए की गई है, 16 के गुणक को लागू करते हुए, उन तथ्यों को देखे बिना कि दावेदार दूसरे वकीलों के समान विभिन्न न्यायालयों मे मामलों मे भाग लेकर वकालत का कार्य नही कर सकता है | एक सहायक के साथ केवल 20 वर्षों के लिए सहायक शुल्क की अनुमति दी गई है | वास्तव मे, न केवल भविष्य मे होने वाली कमाई की हानि के निर्धारण के लिए बल्कि सहायक शुल्क के लिए भी गुणक पद्धति का पालन किया जाना चाहिए | गुणक पद्धति को सबसे यथार्थवादी और उचित माना गया है क्योंकि इसका निर्णय आयु, मुद्रास्फीति दर, जीवन की अनिश्चितता और यथार्थवादी आवश्यकताओ को ध्यान मे रखकर किया गया है | इस प्रकार, मृतक या आहत के परिवार के साथ न्याय सुनिश्चित करने के लिए उचित मुआवजे के निर्धारण के लिए जैसी भी स्थिति हो, उक्त पद्धति को लागू करके मुआवजा निर्धारित किया जा सकता है | अतः, अधिकरण द्वारा भविष्य मे होने वाली हानि के साथ -साथ केवल 10 वर्षों के लिए कमाई और 20 वर्षों के लिए सहायक शुल्क मुआवजा स्वीकृत करना उचित नही था | वास्तव मे, उक्त राशि को गुणक पद्धति का प्रयोग कर निर्धारित किया जाना चाहिए | सरला वर्मा एवं प्रणय सेठी के मामले मे, मोटर यान अधिनियम की अनुसूची को बदलते हुए, यह स्पष्ट नही किया गया है कि 15 वर्ष से काम आयु पर क्या गुणक लागू होगा | काजल वाले मामले मे, आहत की आयु 12 वर्ष थी, हालांकि, 18 का गुणक लागू किया गया| अतः, काजल वाले मामले से मार्गदर्शन लेते हुए, हस्तगत मामले मे मुआवजा के निर्धारण करने के लिए, 18 का गुणक लागू होगा | [पैरा 14, 15]

काजल बनाम जगदीश चंद्र एवं अन्य **(2020) 4 एससीसी 413: [2020] 3 एससीआर622- पर निर्भर**

सरला वर्मा (श्रीमती) एवं अन्य बनाम दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एवं अन्य **(2009) 6 एससीसी 121 : [2009] 5 एससीआर 1098;**
नैशनल इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी एवं अन्य **(2017) 16 एससीसी 680 : [2017] 13 एससीआर 100- संदर्भित**

1.3 उक्त कानून स्थिति को ध्यान मे रखते हुए, मुआवजे का आकलन आर्थिक मदों मे किया जा सकता है जैसे कि भविष्य की कमाई की हानि, भविष्य के चिकित्सा व्यय सहित चिकित्सा व्यय, सहायक शुल्क और भविष्य के परिवहन सहित परिवहन के मद मे भी | गैर- आर्थिक मदों मे, मुआवजे की गणना वर्तमान और भविष्य मे मानसिक और शारीरिक दर्द और पीड़ाओ, वैवाहिक आनंद की हानि सहित जीवन की सुविधाओ की हानि, जीवन मे प्रत्याशा की हानि, असुविधा, कठिनाई, परेशानी, निराशा, हताशा, जीवन मे मानसिक तनाव आदि। आर्थिक मदों मे से एमएसीटी ने 100% स्थाई विकलांगता होने पर भी भविष्य मे कमाई के नुकसान के लिए कोई राशि नही दी है, जबकि उच्च न्यायालय ने केवल 10 वर्षों के लिए 6,00,000/- रुपए स्वीकृत किए क्योंकि अपीलार्थी 60,000/- रुपए प्रति वर्ष की कमाई स्वीकार करते हुए न्यायालय मे एक वकील के रूप मे अभ्यास कर रहा है | अपीलार्थी के पिता प्रोफेसर थे और माता एक आईएएस अधिकारी थी | दावेदार को उसके माता-पिता द्वारा प्राप्त स्थिति मे पाला पोसा और बड़ा किया गया है | सिर

पर चोट लगने एवं स्थाई निःशक्तता के कारण, वह अपनी पढ़ाई उम्मीद और योजना के अनुसार करने मे असक्षम था | कई ईमानदार प्रयासों के बाद वह एलएल.बी पास कर सका और वकालत का पेशा शुरू किया | इस तथ्य की न्यायिक अवेक्षा की जा सकती है कि एक कुशल अधिवक्ता के लिए व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए क्योंकि उसे व्यवसायिक कार्यों मे भाग लेने के लिए एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय तक पहुँचने, एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिबद्धताओ को भी पूरा करने के लिए बार-बार आने जाने की आवश्यकता होती है | चोटों की प्रकृति और दावेदार को हुई स्थाई निःशक्तता को देखते हुए, यानि, निचला अंग पूर्ण रूप से लकवाग्रस्त है जबकि ऊपरी अंग आंशिक रूप से लकवाग्रस्त है और 100 % स्थाई निःशक्तता है जिसके परिणामस्वरूप शारीरिक गतिविधियों मे बाधा आ रही है | एक अधिवक्ता होने के नाते दावेदार की क्षमता की तुलना उसी पेशे मे कोई विकृति न होने वाले अन्य वकालत करने वाले अधिवक्ता से नही की जा सकती है | दावेदार को न्यायालय की कार्यवाहियों मे भाग लेने और पक्षकार की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए असाधारण प्रयास करने की जरूरत है | दावेदार को हुई निःशक्तता पूरे जीवनभर के लिए है और उक्त तथ्य मे, उच्च न्यायालय द्वारा भविष्य की कमाई की हानि की केवल 10 वर्षों के लिए गणना करना उचित नही है | उच्च न्यायालय द्वारा भविष्य की कमाई की हानि 5,000/- रुपए प्रति माह को स्वीकार करते हुए, जो पूरे वर्ष का 60,000/- रुपए आता है और आयु को देखते हुए 18 का गुणक लागू कर, उक्त मद मे, 10,80,000/- रुपए की राशि आती है | [पैरा 16,17]

1.4 चिकित्सा व्यय के मद मे, एमएसीटी या उच्च न्यायालय ने कोई मुआवजा नही दिया है क्योंकि दावेदार जो दुर्घटना के समय नाबालिग थी, की माता ने आईएएस अधिकारी होने के नाते चिकित्सा व्यय की राशि का दावा किया होगा | मगर अब दावेदार बालिग हो चुकी है, और चोटों की प्रकृति को देखते हुए, भविष्य के चिकित्सा व्यय जिसमे सहायक शुल्क शामिल है, पेशाब की इंद्रियों के नुकसान के कारण डायपर का उपयोग को भविष्य चिकित्सा व्यय सहित गणना करना आवश्यक है | अधिकरण ने सहायक शुल्क के मद मे 1000/- रुपए प्रति माह की दर से 1,92,000/- रुपए दिया | जबकि उच्च न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही की कि सहायक शुल्क की दर हर पाँच वर्ष के बाद परिवर्तनीय है, हालांकि, न्यायालय ने 20 वर्षों की अवधि के लिए 2000/- रुपए की दर से गणना की और उसके बाद 4000/- रुपए प्रति माह की दर से गणना की और तदनुसार उक्त मद मे 7,08,000/- रुपए की वृद्धि करते हुए 9,00,000/- रुपए निर्धारित किए | गुणक पद्धति को लागू करते हुए और काजल के मामले को ध्यान मे रखते हुए, 12 घंटे के लिए सहायक शुल्क 5000/- रुपए प्रतिमाह स्वीकार किया गया है, चोटों की प्रकृति और निःशक्तता को देखते हुए दावेदार को 24 घंटे के अंदर कम से कम दो सहायकों की जरूरत होगी ऐसे मे सहायक शुल्क के मद मे खर्चे 10,000/- रुपए प्रति माह आता है | 18 के गुणक को लागू करते हुए, राशि 21,60,000/- रुपए आती है | इसी प्रकार दावेदार को फिजिओथेरेपी की आवश्यकता होने से चिकित्सा व्यय के मद मे, अधिकरण ने 50 रुपए प्रति दिन की दर से 2,88,000/- रुपए दिए | उच्च न्यायालय ने डाइपर के खर्चों सहित 8,00,000/- रुपए एकमुश्त राशि प्रदान की | उक्त राशि पर्याप्त नही है | इन दिनों फिजिओथेरपिस्ट मरीज के एक घंटे के इलाज के लिए कम से कम 150/- रुपए प्रति दिन लेता होगा जोकि मासिक 4,500/- रुपए और सालाना 54,000/- रुपए होता है, 18 के गुणक को लागू करने पर, इस मद मे फिजिओथेरपी का व्यय 9,72,000/- रुपए होता है | डाइपर के उपयोग, नियमित चिकित्सा जांच और चिकित्सा व्यय के लिए 2,00,000/- रुपए और जोड़ दिए जाए तो भविष्य चिकित्सा व्यय के मद मे 11,72,000/- रुपए की राशि हो जाती है | परिवहन के मद मे, एमएसीटी ने दिल्ली से चंडीगढ़ की यात्रा के लिए केवल 15,000/- रुपए दिए जिसे उच्च न्यायालय ने बढ़ा कर 50,000/- रुपए कर दिया | उच्च न्यायालय ने आगे मोटर चालित व्हील चेयर के मद मे 1,00,000/- रुपए अतिरिक्त दिए | जीवन काल के दौरान मोटर चालित व्हील चेयर के लिए राशि का अनुदान न्यायोचित नही है | इसी प्रकार, भविष्य मे परिवहन के मद मे, इसलिए, उच्च

न्यायालय के आदेशानुसार उक्त राशि को 1,00,000/- + 50,000/- रुपए के स्थान पर एकमुश्त बढ़ा कर 2,50,000/- रुपए कर दिया गया | [पैरा 18-20]

1.5 "गैर-आर्थिक क्षतिपूर्ति" के मद मे, दावेदार को चोटों के परिणामस्वरूप दर्द, पीड़ा और आघात का सामना करना पड़ा है |"दर्द, सदमा और पीड़ा" के मद मे मुआवजा देने के लिए, दुर्घटना दिनांक से विभिन्न कारको पर विचार करना आवश्यक है, जिनमे लंबे समय तक अस्पताल मे भर्ती, नियमित चिकित्सा सहायता, आई चोटों की प्रकृति, किए गए ऑपरेशन और दर्द, असुविधा और पीड़ा के परिणाम शामिल है | इसी के साथ, उसे जीवन भर एक्सीडेंट के बाद की पीड़ा झेलनी पड़ती है, जिसमे जीवन की सुविधाएं भी शामिल है, जिनका वह एक सामान्य व्यक्ति के रूप मे आनंद ले सकता है लेकिन स्थाई निःशक्तता के कारण ऐसा करने मे असमर्थ है | प्रतिस्पर्धा के युग मे, वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह बेहतर प्रदर्शन तो कर सकता है, लेकिन दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने मे असमर्थ है | इसलिए, "दर्द, सदमा और पीड़ा" के मद मे मुआवजे की राशि दी जानी चाहिए | अपीलार्थी जीवन की सुविधाओ की हानि और वैवाहिक आनंद, दर्द और पीड़ा, आनंद की हानि और प्रत्याशा की हानि के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए 1,00,000/- रुपए को विशेष आहार के मद मे रखा जाता है | इस प्रकार, गैर- आर्थिक मदों मे, निर्धारित मुआवजा 5,00,000/- रुपए आता है | आर्थिक मदों मे मुआवजा के भुगतान के लिए निर्धारित राशि 46,62,000/- रुपए और गैर-आर्थिक मदों मे 5,00,000/- रुपए राशि बनती है | कुल मुआवजा 51,62,000/- रुपए बनता है | बढ़ी हुई राशि 28,42,000/- रुपए बनती है | बढ़ी हुई राशि पर दावा याचिक दायर दिनांक से भुगतान तक 6.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा | [पैरा 24,25]

आर.डी. हत्तनगड़ी बनाम पेस्ट कंट्रोल (इंडिया) (पी) लिमिटेड **(1995) 1 एससीसी 551 : [1995] 1 एससीआर 75;** *राज कुमार बनाम अजय कुमार एवं अन्य* **(2011) 1 एससीसी 343 : [2010] 13 एससीआर 179- पर निर्भर**

जगदीश बनाम मोहन एवं अन्य **(2018) 4 एससीसी 571 : [2018] 3 एससीआर 20- संदर्भित**

फिलीपींस बनाम लंदन एण्ड साउथ वेस्टर्न रेल्वे कंपनी **(1879) एलआर 5 क्यूबीडी 78 मेडिआना, इन री- 1900 एसी 113 (एचएल);** *एच. वेस्ट एण्ड सन लिमिटेड बनाम शेफर्ड* **1964 एसी 326;** *वार्ड बनाम जेम्स* **(1996) 1 क्यूबी 273- संदर्भित**

<u>संदर्भित न्यायदृष्टांत</u>

[2020] 3 एससीआर 622	पर निर्भर	पैरा 7
[2018] 3 एससीआर 20	संदर्भित	पैरा 8
[2017] 13 एससीआर 100	संदर्भित	पैरा 8
[1995] 1 एससीआर 75	पर निर्भर	पैरा 12
[2010] 13 एससीआर 179	पर निर्भर	पैरा 12
[2009] 5 एससीआर 1098	संदर्भित	पैरा 15

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या. 2022 का 4648

एफएओ संख्या 2002 का 4829 मे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के निर्णय

एवं आदेश दिनांक 21.05.2019 से |

करण दलाल, हरमनजीत सिंह, सूर्यवीर, दीपकरण दलाल, अपीलार्थी की ओर से अधिवक्तागण |

कैलाश प्रसाद पाण्डेय, प्रत्यार्थीगण के वकील |

जे.के. माहेश्वरी, जे. द्वारा न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

अनुमति दी गई |

2. हस्तगत अपील दावेदार/ अपीलार्थी (एततस्मिन पश्चात "दावेदार" से संबोधित) द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ की एकल न्यायाधीश द्वारा प्रथम अपील आदेश संख्या 2002 का 4829 मे पारित निर्णय दिनांक 21.05.20019 से उद्भूत है, जिससे उक्त अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया था और 9,00,000/- रुपए दिए गए मुआवजे को मोटर यान दावा अधिकरण, चंडीगढ़ (एततस्मिन पश्चात "एमएसीटी" से संबोधित) ने एमएसीटी प्रकरण क्र. 1997 का 29 मे बढ़ा कर 23,20,000/- रुपए किया था |

3. दावेदार ने दिनांक 10.11.1996 को घटित सड़क दुर्घटना के कारण हुई स्थाई निःशक्तता के लिए विभिन्न मदों मे 200,000,00/- रुपए (दो करोड़ मात्र) के मुआवजे की मांग करते हुए मोटर यान अधिनियम, 1988 (संक्षेप मे "एम.वी.एक्ट") की धारा 166 के अंतर्गत दावा याचिका दायर की, जिसके लिए दिनांक 11-11-1996 को एफआईआर दर्ज की गई थी | दुर्घटना के समय, दावेदार की आयु साढ़े पाँच वर्ष थी और यूकेजी का छात्र था, को सेरेब्रल ऐडेमा/ ब्रैन ऐडेमा, टेंपोरल हड्डी के दाहिने भाग मे अस्थिभंग, रीढ़ की हड्डी, निचले अंगों, जैसी विभिन्न चोटे आई थी, जिस कारण उसे वाणी का नुकसान, कनवलशंस, चेहरे पर चोटों का नुकसान को रहा था | दावेदार का निचला अंग पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया था जिस कारण 100% स्थाई निःशक्तता आ गई थी, उन चोटों के कारण उसकी आनंदमय जीवन जीने की आशा खो गई थी | ऐसा कहा जाता है कि उसके पिता प्रोफेसर थे और माता एक आईएएस अधिकारी थी, दावेदार अपनी प्रष्ठभूमि के कारण कार्यकारी/ आईएएस अधिकारी बनने की इच्छा रखता था | टेंपोरल हड्डी मे अस्थिभंग सहित सिर की चोटों के कारण, मस्तिष्क का विकास और क्षमता एक सामान्य आदमी की तरह नही थी | निचले हिस्सों मे आई चोटों के कारण, वह प्रकृति की पुकार के प्रति अपनी चेतना खो बैठा था और उसे अपने दैनिक कार्यों के लिए हर समय सहायकों की आवश्यकता पड़ती थी | वह व्हील चेयर या मोटर चालित वाहन के बिना चल नही सकता था, इस प्रकार उसका भविष्य पूरी तरह से खतरे मे है |

4. दावा याचिका पर निर्णय देते समय एमएसीटी ने संयुक्त: और पृथकत: का निष्कर्ष दर्ज किया और दावेदार को 100% निःशक्तता का सामना करना पड़ा |अधिकरण ने 16 का गुणक को लागू करते हुए मुआवजे की गणना की और सहायक शुल्क के मद मे 1,000/- रुपए प्रति माह की दर से 1,92,000/- रुपए दिए, फिजिओथेरपी के लिए 50 रुपए प्रति दिन के हिसाब से 2,88,000/- रुपए, परिवहन शुल्क के लिए 15,000/- रुपए दिए, और भविष्य मे डाइपर के उपयोग के लिए 5,000/- रुपए दिए | अधिकरण ने जीवन की उम्मीदों की हानि, वैवाहिक आनंद की हानि, जीवन के आनंद और सुविधाओ की हानि, स्थाई निःशक्तता, दर्द और पीड़ा, के मद मे 4,00,000/- रुपए दिए, इस प्रकार दावा याचिका दायर दिनांक से भुगतान तक 9 % प्रति वर्ष ब्याज सहित कुल 9,00,000/- रुपए दिए|

5. दावेदार द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर कर मुआवजे के अनुदान की पर्याप्तता पर सवाल उठाया गया था जिसे आदेश दिनांक 21.05.2019 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किया गया था | न्यायालय ने मोटर चालित व्हील चेयर के लिए 1,00,000/- रुपए दिए थे | भविष्य की कमाई की हानि के लिए केवल 10 वर्षों के लिए 60,000/- रुपए प्रति वर्ष की हानि को स्वीकार करते हुए 6,00,000/- रुपए दिए | दावा अधिकरण द्वारा दिए गए सहायक शुल्क को केवल 20 वर्षों के लिए 3,500/- रुपए माह की दर से 7,08,000/- रुपए तक बढ़ाया गया | अपील मे, दवाओ, फिजिओथेरपी और डियापर्स के मद मे, उच्च न्यायालय ने एमएसीटी द्वारा स्वीकृत राशि को बढ़ाते हुए एकमुश्त 8,00,000/- रुपए दिए | जीवन की सुविधाओ, वैवाहिक आनंद की हानि के मद मे 3,00,000/- रुपए स्वीकृत किए और विशेष आहार के लिए 1,00,000/- रुपए को बढ़ाते हुए मुआवजे की कुल राशि 23,20,000/- रुपए दी गई | उच्च न्यायालय ने बढ़ी हुई राशि पर दावा याचिका दायर दिनांक से भुगतान तक 7.25 % प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने का भी निर्देश दिया |

6. इस अपील को दायर करके, एमएसीटी और उच्च न्यायालय द्वारा मुआवजे की अनुदान की अपर्याप्तता पर सवाल उठाया गया है, स्थाई निःशक्तता, पेशा जो वह कर रहा है, को देखते हुए आर्थिक के साथ साथ गैर आर्थिक मदों मे भी उचित और सुसंगत सिद्धांत को लागू करते हुए वृद्धि की मांग की गई यह आग्रह किया जाता है कि एमएसीटी और उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया मुआवजा अन्यायपूर्ण और अनुचित है और चोटों की प्रकृति के अनुरूप नही है, जिसके कारण दावेदार को 100 % स्थाई निःशक्तता हुई है | विभिन्न मदों और विभिन्न आधारों पर भी वृद्धि की प्रार्थना की गई है |

7. पूरे जीवन के लिए स्थाई निःशक्तता के कारण भविष्य मे होने वाली कमाई की हानि के मद मे अनुमत मुआवजे के अनुदान की पर्याप्तता को चुनौती दी गई थी | यह आग्रह किया जाता है, उच्च न्यायालय द्वारा भविष्य की कमाई की हानि 60,000/- प्रति वर्ष की दर से केवल 10 वर्षों के लिए दी गई लेकिन निःशक्तता के कारण, दावेदार की कमाई उसे पूरे जीवन के लिए प्रभावित करेगी, वह भी सामान्य क्षमता रखने वाले वकील के पेशे से तुलना नही की जा सकती है | उच्च न्यायालय द्वारा सहायक शुल्क 3,500/- रुपए प्रति माह की दर से केवल 20 वर्षों के लिए स्वीकार किया गया जबकि अपीलार्थी को पूरे जीवन हर समय सहायक की आवश्यकता थी | इंद्रियों की हानि के कारण, उसे जीवनभर डाइपर का उपयोग करने की जरूरत है | भविष्य के इलाज, फिजिओथेरपी सहित चिकित्सा व्यय के मद मे, दी जाने वाली राशि अपर्याप्त है | उसे जीवन के दौरान समय समय पर, मोटर चालित व्हील चेयर खरीदने की जरूरत है | दर्द और पीड़ा, वैवाहिक आनंद की हानि, जीवन की सुविधाओ की हानि, जीवन भर जो उसे समाज के सामने पीड़ा का सामना करना पड़ेगा, के मद मे उसके लिए मुआवजे की पर्याप्त राशि नही दी गई है, हालांकि मुआवजे मे वृद्धि की प्रार्थना की गई है | तर्कों के समर्थन मे, ***काजल बनाम जगदीश चंद और अन्य-*** **(2020) 4 एससीसी 413** के मामले मे इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया गया है |

8. रिकार्ड इंगित करता है कि तमिली के बावजूद, प्रत्यार्थी क्र.1 के लिए कोई उपस्थित नही हुआ | श्री कैलाश प्रसाद पाण्डेय, अधिवक्ता प्रत्यार्थी क्र.2 यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड का प्रतिनिधित्व कर रहे है और अन्य बातों के साथ साथ यह तर्क देते हुए प्रति-शपथ पत्र दायर किया है कि दोनों अदालतों ने रिकार्ड पर स्वीकृत तथ्यों और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर मामले का सही फैसला किया है और समवर्ती निष्कर्ष प्रत्यार्थी क्र.2 के पक्ष मे है | ऐसा कहा गया है कि इस न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा ***जगदीश बनाम मोहन एवं अन्य-*** **(2018) 4 एससीसी 571** मे पारित निर्णय और इस न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा निर्णीत केस शीर्षक ***एनआईसी बनाम प्रणय सेठी एवं अन्य-*** **(2017) 16 एससीसी 680** प्रत्यार्थी क्र.2 के मामले का

समर्थन कर रहे है | आगे यह प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का सही ढंग से पालन किया है और भविष्य मे मुआवजे मे वृद्धि की कोई गुंजाइश नही है |

9. दोनों पक्षों के विद्धवान अधिवक्ताओ की सुनने के पश्चात और एमएसीटी एवं उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज निष्कर्ष को देखने के बाद, इसमे कोई संदेह नही किया जा सकता है कि दावेदार को सड़क दुर्घटना मे 100% स्थाई निःशक्तता का सामना करना पड़ा है और दायित्व संयुक्त: और पृथकतः है | चोटों की प्रकृति और सीमा को समझने के उद्देश्य से, व.सा.-1 डॉ सुनील कटोंच, सलाहकार, इंडियन स्पाइनल इंजरीस सेंटर, नई दिल्ली का कथन अवलोकनीय है | उनकी गवाही के अनुसार, दावेदार को सी-7, सी-8 के स्तर पर रीढ़ की हड्डी मे चोट लगी है साथ ही आंत और मूत्राशय पूरी तरह लकवाग्रस्त हुआ है और वह पूरी तरह से अपने ऊपरी अंगों (हाथों) का उपयोग करने मे असमर्थ है | एमआरआई सी-7 से डी-4 स्तर पर रीढ़ की हड्डी के व्यापक मायलोंमलेशिया का सुझाव देता है, जिसके लिए घरेलू देखभाल की आवश्यकता होती है | इसके अलावा, उसे नियमित और हर साल चेक-अप कराना भी जरूरी है | रीढ़ की हड्डी मे आई चोट के कारण, उसके दोनों निचले अंग पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गए है और आंत और मूत्राशय के साथ साथ हाथ भी आंशिक रूप से प्रभावित हुए है | परिणामस्वरूप, उसे जीवनभर मूत्र संबंधी जटिलताएं हो सकती है जिसके लिए पर्याप्त चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता है | वह शर्मनाक स्थिति के होते हुए नियमित वाहक का लक्ष्य नही कर सकता है | स्थाई निःशक्तता का प्रतिशत 100 % है | उक्त चिकित्सा राय और निष्कर्षों के साथ, पर्याप्तता के मुद्दे और मुआवजे की उचित एवं पर्याप्त राशि देने पर विचार करने की आवश्यकता है |

10. यह कहना अप्रासंगिक नही होगा, कि क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजे का भुगतान करना दावेदार को उसकी मूल स्थिति मे पुनर्जीवित नही करेगा | गलत कार्य के लिए पैसे के रूप मे मुआवजा हालांकि न्यायालय द्वारा तय नही किया जा सकता है, लेकिन इसे मान्यता प्राप्त सिद्धांतों के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है | उक्त संदर्भ मे, कुछ अंग्रेजी निर्णय प्रासंगिक है, जो निर्दिष्ट कर सकते है कि मुआवजा क्यों दिया जाए, निर्धारण का आधार क्या होना चाहिए, और ऐसा मुआवजा देने का कारण क्या हो सकता है, मुआवजे के निर्धारण के लिए एक समान पद्धति को लागू करना, चोटों के बराबर, जिससे एक व्यक्ति अपना जीवन जी सकता है, हालांकि उसके शारीरिक ढांचे को उल्टा नही किया जा सकता है |

11. ***फिलिपस बनाम लंदन एण्ड साउथ वेस्टर्न रेल्वे कंपनी-*** **(1879) एलआर 5 क्यूबीडी 78** मामले मे, यह माना गया कि क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजे का भुगतान करके, न्यायालय दावेदार को उसकी मूल स्थिति मे नही पहुंचा सकता है | मुआवजे के निर्धारण की दिनांक पर, उसे मुआवजा दिया जा रहा है किन्तु वह दुबारा मुकदमा नही कर सकता है, इसलिए, उसे निर्धारित करते समय मुआवजा पूर्ण और अंतिम होना चाहिए | ***मेडिआना, इन री-*** **1900 एसी 113 (एचएल)** मे यह कहा गया है कि क्षतिपूर्ति के मुआवजे की राशि का निर्धारण एक अत्यंत कठिन कार्य है | किसी गलत कार्य के लिए पर्याप्त राशि क्या हो सकती है और क्या इसकी भरपाई पैसे से की जा सकती है, विशेषकर दर्द और पीड़ा के लिए | अंकगणितीय गणना द्वारा, यह तय नही किया जा सकता है कि धन की सटीक राशि क्या हो सकती है जो किसी व्यक्ति के दर्द और पीड़ा का प्रतिनिधित्व करे, परंतु मान्यता प्राप्त सिद्धांतों के अनुसार, क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाना चाहिए | ***एच.वेस्ट एण्ड सन लिमिटेड बनाम शेफर्ड-*** **1964 एसी 326** मे, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धन के रूप मे मुआवजे का भुगतान किया जा सकता है ताकि किसी नष्ट या खोई हुई समान प्रकृति की किसी अन्य चीज को बदलने के लिए कुछ ठोस उपार्जित किया जा सके | लेकिन पैसा उस भौतिक ढांचे को नवीनीकृत नही कर सकता जो टूटा-फूटा हो चुका है, हालांकि न्यायालयों को राशि देने पर विचार

करना चाहिए, जोकि उचित हो | साथ ही, दृष्टिकोण की सामान्य की पद्धति मे एकरूपता की आवश्यकता है | इस प्रकार से, संभावित तुलनीय चोटों की भरपाई तुलनीय पुरस्कारों से की जा सकती है | ***लॉर्ड डेर्निंग, वर्ड बनाम जेम्स-*** **(1996) 1 क्यूबी 273** मामले मे अपीलीय न्यायालय के बारे मे बात करते हुए तीन बुनियादी सिद्धांतों, अर्थात, अभिगम्यता, एकरूपता और पूर्वानुमान, को निर्दिष्ट किया गया है जिनका ऐसे मामलों मे पालन किया जाना चाहिए |

12. भारतीय कानून के परिप्रेक्ष्य मे, ***आर.डी. हत्तनगड़ी बनाम पेस्ट कंट्रोल (इंडिया) (पी) लिमिटेड-*** **(1995) 1 एससीसी 551,** के मामले मे इस न्यायालय द्वारा यह निर्दिष्ट किया गया है कि शारीरिक चोटों के लिए मुआवजे का निर्धारण करते समय, वे मद जिस पर मुआवजे की राशि निर्धारित की जानी है, दो प्रकार की हो सकती है, एक आर्थिक क्षतिपूर्ति और दूसरी गैर आर्थिक क्षतिपूर्ति की | आर्थिक क्षतिपूर्ति मे कमाई की हानि, चिकित्सा देखभाल, परिवहन शुल्क और अन्य तात्विक हानि शामिल है | गैर आर्थिक क्षतिपूर्ति मे मानसिक और शारीरिक सदमा, दर्द और पीड़ा जो पहले से ही झेली जा चुकी है या भविष्य मे झेलने की संभावना है, जीवन की सुविधाओ की हानि, जीवन की उम्मीदों की हानि, असुविधा, कठिनाई, परेशानी, निराशा, हताशा और जीवन मे मानसिक तनाव जिसका अनुसरण ***राज कुमार बनाम अजय कुमार एवं अन्य –*** **(2011) 1 एससीसी 343** मे किया गया है |

13. ***काजल*** **(सुप्रा)** के मामले मे, इस न्यायालय ने स्थाई नि:शक्तता के मामले मे, उचित मुआवजा निर्धारित करने के लिए, सिद्धांतों को संक्षेप मे प्रस्तुत किया है, जिसके द्वारा 'कमाई की हानि' के मद मे, 'चिकित्सा व्यय, परिवहन, विशेष आहार, सहायक शुल्क' मुआवजा दिया जा सकता है, 'शरीर के किसी विशेष अंग के नुकसान से जीवन के सुखों की हानि या कमी' और 'भविष्य की कमाई क्षमता की हानि', क्षतिपूर्ति, आर्थिक के साथ साथ गैर आर्थिक का भी आकलन होना चाहिए जबकि मानवीय पीड़ाओ और व्यक्तिगत अभाव को पैसों के बराबर करना असंभव है | इस न्यायालय ने कहा है कि उच्च न्यायालय द्वारा 2,500/- रुपए प्रति माह की दर से दिया गया सहायक शुल्क अपर्याप्त है, फिर भी इसे बढ़ कर 5,000/- रुपए दो सहायकों के साथ, जीवनभर के लिए कुल 10,000/- प्रति माह और 18 के गुणक को लागू करते हुए मुआवजे की गणना की गई | न्यायालय ने आगे कहा है कि गैर-आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए भी मुआवजा दिया जा सकता है जिसमे दर्द, पीड़ा, सुविधाओ की हानि, विवाह की संभावनाओ की हानि शामिल है | इसलिए, 100% नि:शक्तता का कारण बनने वाली चोटों, हस्तगत मामले के तथ्यों को देखते हुए, उक्त निर्णय के अनुपात को लागू करते हुए मुआवजा निर्धारित करने की आवश्यकता है |

14. उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश मे कहा है कि दावेदार ने अब एक अधिवक्ता के रूप मे अभ्यास शुरू कर दिया है, इसलिए, भविष्य मे कमाई के नुकसान की गणना केवल 10 वर्षों के लिए की गई है, 16 के गुणक को लागू करते हुए, इन तथ्यों को देखे बिना कि दावेदार विभिन्न न्यायालयों मे मामलों मे उपस्थित होकर दूसरे अधिवक्ताओ के समान वकालत का कार्य नही कर सकता है | एक सहायक के साथ सहायक शुल्क मात्र 20 वर्षों के लिए स्वीकृत की गई है | वास्तव मे, न केवल भविष्य की कमाई की हानि के निर्धारण के लिए बल्कि सहायक शुल्क के लिए भी गुणक विधि को अपनाना चाहिए | गुणक विधि को सबसे यथार्थवादी और उचित माना गया है क्योंकि इसका निर्णय आयु, मुद्रास्फीति दर, जीवन की अनिश्चितता और अन्य यथार्थवादी आवश्यकताओ को देखते हुए किया गया है | इस प्रकार, मृतक या घायल के परिवार के साथ, जैसा भी स्थिति हो, न्याय सुनिश्चित करने के लिए उचित मुआवजे के निर्धारण के लिए, उक्त पद्धति को लागू करते हुए मुआवजा निर्धारित किया जा सकता है | इसलिए, हमारे विचार मे अधिकरण द्वारा भविष्य मे होने वाली हानि के साथ साथ केवल 10 वर्षों के लिए कमाई और केवल 20 वर्षों के लिए सहायक शुल्क

मुआवजा देना उचित नही था | वास्तव मे, उक्त राशि गुणक पद्धति को लागू करते हुए निर्धारित की जानी चाहिए |

15. यह देखन भी प्रासंगिक है कि सरला **वर्मा (श्रीमती) एवं अन्य बनाम दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एवं अन्य- (2009) 6 एससीसी 121** और **नैशनल इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी एवं अन्य – (2017) 16 एससीसी 680,** के फैसले मे, मोटर यान अधिनियम की अनुसूची को प्रतिस्थापित करते हुए, यह स्पष्ट नही किया गया है कि 15 वर्ष की काम आयु पर कौन स गुणक लागू होगा | **काजल (सुप्रा)** के मामले मे, आहत की आयु 12 वर्ष थी, फिर भी, 18 के गुणक को लागू किया गया है | इसलिए, हस्तगत मामले मे मुआवजे के निर्धारण के लिए **काजल (सुप्रा)** के मामले से मार्गदर्शन लेते हुए, 18 का गुणक लागू होगा |

16. उक्त कानूनी स्थिति को देखते हुए, मुआवजे का आकलन आर्थिक मदों मे किया जा सकता है, अर्थात, भविष्य की कमाई की हानि, भविष्य चिकित्सा व्यय सहित चिकित्सा व्यय, सहायक शुल्क और भविष्य के परिवहन सहित परिवहन के मद मे भी | गैर- आर्थिक मदों मे, वर्तमान और भविष्य मे होने वाले मानसिक और शारीरिक दर्द और पीड़ाओ, वैवाहिक आनंद की हानि सहित जीवन की सुविधाओ की हानि, जीवन मे प्रत्याशा की हानि, असुविधा, कठिनाई, निराशा, हताशा, जीवन मे मानसिक पीड़ा आदि के लिए मुआवजे की गणना की जा सकती है |

17. रिकार्ड के अवलोकन के बाद आर्थिक मद मे एमएसीटी ने 100% स्थाई निःशक्तता होने पर भी भविष्य मे कमाई की हानि के लिए कोई राशि नही दी है, जबकि उच्च न्यायालय ने केवल 10 वर्षों के लिए 6,00,000/- रुपए दी क्योंकि अपीलार्थी अब प्रति वर्ष 60,000/- रुपए की कमाई स्वीकार करते हुए न्यायालय मे एक अधिवकता के रूप मे अभ्यास कर रहा है | प्रस्तुत दलीलों एवं साक्ष्य से, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पिता प्रोफेसर थे और माता एक आईएएस अधिकारी थी | दावेदार को उसके माता-पिता द्वारा प्राप्त स्थिति मे पाला पोसा और बड़ा किया गया है | वह एक कार्यकारी या आईएएस अधिकारी बनने की योजना बना रहा था | टेम्परल क्षेत्र मे आई चोटों और स्थाई निःशक्तता के कारण वह अपनी पढ़ाई उम्मीद और योजना के अनुसार करने मे असमर्थ थी | ईमानदार प्रयासों के बाद वह एलएल.बी. पास कर सका और वकालत का पेशा शुरू किया | इस तथ्य की न्यायिक अवेक्षा की जा सकती है कि एक कुशल वकील के लिए व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए क्योंकि उसे व्यवसायिक कार्यों मे भाग लेने के लिए एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय तक पहुँचने, एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिबद्धताओ को भी पूरा करने के लिए बार-बार आने जाने की आवश्यकता होती है | चोटों की प्रकृति और दावेदार को हुई स्थाई निःशक्तता को देखते हुए, यानि, निचला अंग पूर्ण रूप से लकवाग्रस्त है जबकि ऊपरी अंग आंशिक रूप से लकवाग्रस्त है और 100 % स्थाई निःशक्तता है जिसके परिणामस्वरूप शारीरिक गतिविधियों मे बाधा आ रही है | एक अधिवक्ता होने के नाते दावेदार की क्षमता की तुलना उसी पेशे मे कोई विकृति न होने वाले अन्य वकालत करने वाले अधिवक्ता से नही की जा सकती है | दावेदार को न्यायालय की कार्यवाहियों मे भाग लेने और पक्षकार की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए असाधारण प्रयास करने की जरूरत है | दावेदार को हुई निःशक्तता पूरे जीवनभर के लिए है और उक्त तथ्य मे, उच्च न्यायालय द्वारा भविष्य की कमाई की हानि की केवल 10 वर्षों के लिए गणना करना उचित नही है | यदि हम उच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए अनुसार भविष्य की कमाई की हानि को 5,000/- रुपए प्रति माह स्वीकार करते है जोकि सालाना 60,000/- रुपए होती है और आयु को देखते हुए 18 के गुणक को लागू करते है, तो उक्त मद मे, राशि 10,80,000/- रुपए बनती है |

18. चिकित्सा व्यय के मद मे, एमएसीटी या उच्च न्यायालय ने कोई मुआवजा नही दिया है क्योंकि दावेदार जो दुर्घटना के समय नाबालिग थी, की माता ने आईएएस अधिकारी होने के नाते चिकित्सा व्यय की राशि का दावा किया होगा | मगर अब दावेदार बालिग हो चुकी है, और चोटों की प्रकृति को देखते हुए, भविष्य के चिकित्सा व्यय जिसमे सहायक शुल्क शामिल है, पेशाब की इंद्रियों के नुकसान के कारण डायपर का उपयोग को भविष्य चिकित्सा व्यय सहित गणना करना आवश्यक है | अधिकरण ने सहायक शुल्क के मद मे 1000/- रुपए प्रति माह की दर से 1,92,000/- रुपए दिए| जबकि उच्च न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही की कि सहायक शुल्क की दर हर पाँच वर्ष के बाद परिवर्तनीय है, हालांकि, न्यायालय ने 20 वर्षों की अवधि के लिए 2000/- रुपए की दर से गणना की और उसके बाद 4000/- रुपए प्रति माह की दर से गणना की और तदनुसार उक्त मद मे 7,08,000/- रुपए की वृद्धि करते हुए 9,00,000/- रुपए निर्धारित किए | जैसा की चर्चा की गई है, यदि हम गुणक पद्धति को लागू करते है और **काजल (सुप्रा)** के मामले को ध्यान मे रखते हुए, हम दावेदार की चोटों और निःशक्तता की प्रकृति को देखते हुए, 12 घंटों के लिए प्रति माह 5,000/- रुपए सहायक शुल्क स्वीकार करते है तो दावेदार को कम से कम 24 घंटों मे दो सहायक की आवश्यकता है तब सहायक शुल्क के मद मे व्यय 10,000/- प्रति माह बनता है | यदि हम 18 का गुणक लागू करे तो, 21,60,000/- रुपए की राशि बनती है |

19. इसी प्रकार दावेदार को फिजिओथेरेपी की आवश्यकता होने से चिकित्सा व्यय के मद मे, अधिकरण ने 50 रुपए प्रति दिन की दर से 2,88,000/- रुपए दिए | उच्च न्यायालय ने डाइपर के खर्चों सहित 8,00,000/- रुपए एकमुश्त राशि प्रदान की | हमारे विचारणीय मत मे, उक्त राशि पर्याप्त नही है | इन दिनों फिजिओथेरपिस्ट मरीज के एक घंटे के इलाज के लिए कम से कम 150/- रुपए प्रति दिन लेता होगा जोकि मासिक 4,500/- रुपए और सालाना 54,000/- रुपए होता है, 18 के गुणक को लागू करने पर, इस मद मे फिजिओथेरपी का व्यय 9,72,000/- रुपए होता है | डाइपर के उपयोग, नियमित चिकित्सा जांच और चिकित्सा व्यय के लिए 2,00,000/- रुपए और जोड़ दिए जाए तो भविष्य चिकित्सा व्यय के मद मे 11,72,000/- रुपए की राशि हो जाती है |

20. परिवहन के मद मे, एमएसीटी ने दिल्ली से चंडीगढ़ की यात्रा के लिय केवल 15,000/- रुपए दिए जिसे उच्च न्यायालय ने बढ़ा कर 50,000/- रुपए कर दिया | उच्च न्यायालय ने आगे मोटर चालित व्हील चेयर के मद मे 1,00,000/- रुपए अतिरिक्त अधिनिर्णीत किए | जीवन काल के दौरान मोटर चालित व्हील चेयर के लिए राशि का अनुदान न्यायोचित नही है | इसी प्रकार, भविष्य मे परिवहन के मद मे, इसलिए, उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उक्त राशि को 1,00,000/- + 50,000/- रुपए के स्थान पर एकमुश्त बढ़ा कर 2,50,000/- रुपए कर दिया गया |

21. "गैर-आर्थिक क्षतिपूर्ति" के मद मे, दावेदार को चोटों के परिणामस्वरूप दर्द, पीड़ा और आघात का सामना करना पड़ा है | यह ध्यान देने योग्य है कि "दर्द, सदमा और पीड़ा" के मद मे मुआवजा देने के लिए, दुर्घटना दिनांक से विभिन्न करको पर विचार करने की आवश्यकता है, जिनमे लंबे समय तक अस्पताल मे भर्ती, नियमित चिकित्सा सहायता, आई चोटों की प्रकृति, किए गए ऑपरेशन और दर्द, असुविधा और पीड़ा के परिणाम शामिल है | इसी के साथ, उसे जीवन भर एक्सीडेंट के बाद की पीड़ा झेलनी पड़ती है, जिसमे जीवन की सुविधाएं भी शामिल है, जिनका वह एक सामान्य व्यक्ति के रूप मे आनंद ले सकता है लेकिन स्थाई निःशक्तता के कारण ऐसा करने मे असमर्थ है | प्रतिस्पर्धा के युग मे, वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह बेहतर प्रदर्शन तो कर सकता है, लेकिन दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने मे असमर्थ है | इसलिए, "दर्द, सदमा और पीड़ा" के मद मे मुआवजे की राशि दी जानी चाहिए |

22. एमएसीटी ने जीवन की उम्मीदों की हानि, वैवाहिक आनंद की हानि, जीवन के आनंद की पूर्ण हानि और जीवन की आवश्यकताओ की हानि, स्थाई निःशक्तता, दर्द और पीड़ा के मद मे 4,00,000/- रुपए दिए जबकि उच्च न्यायालय ने समान राशि को जीवन मे सुविधाओ की हानि और वैवाहिक आनंद के मद मे विभाजित करते हुए 3,00,000/- रुपए दिए जबकि विशेष आहार 1,00,000/- रुपए कुल मिलाकर 4,00,000/- रुपए दिए |

23. मामले के तथ्यों, परिस्थितयो और चोटों की प्रकृति को ध्यान मे रखते हुए अपीलार्थी जीवन की सुविधाओ की हानि और वैवाहिक आनंद, दर्द और पीड़ा, आनंद की हानि और प्रत्याशा की हानि के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए 1,00,000/- रुपए को विशेष आहार के मद मे रखा जाता है | इस प्रकार, गैर- आर्थिक मदों मे, निर्धारित मुआवजा 5,00,000/- रुपए आता है |

24. उपरोक्त गणना को ध्यान मे रखते हुए, आर्थिक मदों मे मुआवजा के भुगतान के लिए निर्धारित राशि 46,62,000/- रुपए और गैर-आर्थिक मदों मे 5,00,000/- रुपए राशि बनती है | इस प्रकार, हमारे मत मे, कुल मुआवजा 51,62,000/- रुपए बनता है | यदि हम उच्च न्यायालय द्वारा दी गई 23,20,000/- रुपए की राशि को घटा दे तो बढ़ी हुई राशि 28,42,000/- हो जाती है |

25. परिणामस्वरूप, इस अपील को यहाँ ऊपर बताई हुई सीमा तक आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है | बढ़ी हुई राशि पर दावा याचिक दायर दिनांक से भुगतान तक 6.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा |

संगीता शुक्ला, नवम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, सतना (म.प्र.) के द्वारा अनुवादित |